न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– ल

प्रथम अपील संख्या 51/2023

बी0एस0शेखावत, फ्लेट नं0 55, बसन्त विहार, द्वितीय तल, नियर सेन्ट टेरेसा स्कूल, निवारू

मो0न0 9530405064 व 9910417468

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनां

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूच अधिनियम के तहत दिनांक 10.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपी 51/2023 पर दिनांक 10.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु अ सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2 दिनांक 10.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2 29.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी बी0एस0शेखावत, प्लेट नं0 55, बसन्त विह नियर सेन्ट टेरेसा स्कूल, निवारू रोड, जयपुर, मो0न0 9530405064 व 9910417468 अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इ पत्रांक सू0अ0/2023/94 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी द्वारा पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2 29.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी बी0एस0शेखावत, प्लेट नं0 55, बसन्त विह नियर सेन्ट टेरेसा स्कूल, निवारू रोड, जयपुर, मो0न0 9530405064 व 9910417468 अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के पत्रांक सू0अ0/2023/94 दिनांक 15.02.20[illegible] जरिये रजिस्टर्ड डाक के उ गई है। अतः अपीलार्थी का अपील [illegible] खारीज किया
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आ[illegible] द्वितीय अपील माननीय राज जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में [illegible]

आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:13:47 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस

जिला कलक

जिला कल